

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

दिनांक:- 09/06/2026

अभियुक्तगण मनोज तथा राजकुमार की ओर से मु०अ०सं०- 165/2054, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना मौरावां जिला उन्नाव, के प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत सोनू उर्फ आशीष कुमार तथा रूपरानीकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा मामले में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है।

मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है।

आरोप की प्रकृति व दण्ड की अवधि के ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण मनोज तथा राजकुमार प्रत्येक द्वारा 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की 1-1 प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

01:- अभियुक्तगण दौरान विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियत तिथि पर उपस्थित रहेंगे।

02:- अभियुक्तगण किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित अथवा प्रताड़ित नहीं करेंगे।

03:- अभियुक्तगण विचारण में सम्पूर्ण सहयोग करेंगे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।